प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति नंबर 69/2020)

तत्काल जारी किए जाने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे'' पर सिफारिशें जारी कीं।

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2020, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज एक बहुमंचीय परामर्श प्रक्रिया के बाद ''ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे'' पर सिफारिशें जारी की हैं।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने पत्र संख्या 12–30/एनटी/2015/ओटीटी (पीटी) दिनांक 03 मार्च, 2016 के माध्यम से भादूविप्रा की सिफारिशों को यातायात प्रबंधन और ओटीटी सेवाओं के आर्थिक, सुरक्षा और गोपनीयता पहलुओं सहित नेट तटस्थता पर सिफारिशों की मांग की थी, जैसा कि परामर्श पत्र दिनांक 27 मार्च, .2015 में शामिल किया गया है।

3. दुरसंचार विभाग के पत्र में संदर्भित मुद्दों की जटिलता और अन्य परस्पर संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने विशिष्ट परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों से निपटने का फैसला किया। प्राधिकरण ने पहले ही 'डाटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ का निषेध', 'इंटरनेट टेलीफोनी के लिए विनियामक ढांचा', 'नेट न्यूट्रैलिटी' और 'दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व' से संबंधित सिफारिशें या विनियम जारी किए हैं।

4. शेष मुद्दों पर इन सिफारिशों पर पहुंचने में यानी ''ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे'', भादूविप्रा ने 12 नवंबर, 2018 को एक परामर्श पत्र जारी किया और हितधारको से टिप्पणियॉ लेने और काउंटर टिप्पणियां लेने के लिए टीएसपी और ओटीटी सेवाओं की समानता और उप–स्तरीयता, विनियामक असंतुलन और टीएसपी और ओटीटी सेवा प्रदाताओं के बीच असंतुलित अवसर, आर्थिक पहलुओं, अंतरसंचालनीयता, ओटीटी सेवाओं का वैध अवरोधन और ओटीटी सेवाओं की पहुंच आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को उठाया। इसके बाद, दो ओपन हाउस चर्चाएं (ओएचडी) आयोजित की गईं जिनमें से एक दिनांक 24 अप्रैल 2019 को बंगलौर में और दूसरी दिनांक 20 मई, 2019 को दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें हितधारकों ने भाग लिया और मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

5. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) बाजार की ताकतों को किसी स्थिति पर बिना किसी विनियामक हस्तक्षेप को निर्धारित किए प्रतिक्रिया देने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, संबंधित घटनाओं की निगरानी की जाएगी और आवश्यक महसूस किए गए हस्तक्षेप उचित समय पर किया जाएगा।

(ii) ओटीटी सेवाओं की निजता और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के संबंध में फिलहाल किसी विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(iii) वर्तमान में निर्धारित मौजूदा कानूनों और विनियमों से परे ओटीटी सेवाओं के संदर्भ में सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचे की सिफारिश करने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों विशेषकर आईटीयू द्वारा किए गए अध्ययन में अधिक स्पष्टता उभरकर सामने आती है तो इसकी नए सिरे से जांच की जा सकती है।

6. इन सिफारिशों का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है www.trai.gov.in किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री असित कादयान से ईमेल advqos@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस.के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण : यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>